



2026:AHC: 67537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 8312/2023

रिंकू सिंह उर्फ हरवीर सिंह

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : हृदय नारायण पांडेय, राज करन पटेल, राम सुंदर यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के अंतर्गत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र, कानपुर देहात जिसे इसके बाद संक्षेप में विद्वान विचारण न्यायालय कहा गया है द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 386 वर्ष 2014 राज्य बनाम रिंकू सिंह उर्फ हरवीर सिंह, धारा 394, 411 आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन सिकंदरा, जिला कानपुर देहात में पारित आदेश दिनांक 14.7.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विमोचन प्रार्थना पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज करन पटेल, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री दिव्या ओझा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मामला अपराध संख्या 386 वर्ष 2014 में, वर्तमान अपीलकर्ता अभियुक्तों में से एक है। स्थानीय पुलिस ने अपीलकर्ता के छोटे भाई के घर से वस्तुएं जब्त की हैं, जो घर राहुल सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम पर सुजुकी एजेंसी,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भीकमपुर, दयालपुर, पुलिस स्टेशन औरैया, जिला औरैया में है, हालांकि, अपीलकर्ता रिकू सिंह पूर्वोक्त मामले में अभियुक्त है और वह क्योत्रा, मड़रई, नगर पंचायत औरैया, जिला औरैया में स्थित अपने अलग घर में रह रहा है। वास्तव में, अपीलकर्ता पूर्वोक्त मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और न्यायालय ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की तथा उसे फरार घोषित कर दिया गया एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कार्यवाहियां अमल में लाई गईं तथा उसकी चल संपत्तियों को न्यायालय द्वारा कुर्क कर लिया गया। तत्पश्चात, जब पूर्वोक्त आदेश अपीलकर्ता के संज्ञान में आए तो उसने स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 2.2.2023 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कुर्क की गई चल संपत्तियों को मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को संबंधित न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

"इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त उपस्थित रहा तथा परीक्षण के स्तर पर ही अनुपस्थित हो गया, जिस कारण प्रकरण की कार्यवाही विलम्बित रही तथा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अनेकों तिथियों पर गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 दं० प्र०सं० एवं धारा 83 दं० प्र०सं० की आदेशिकाएं निर्गत करने के उपरान्त प्रार्थी / अभियुक्त की कुर्की होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित हो सकी है। इस प्रकार न्यायालय में जमानत के परान्त अभियुक्त स्वेच्छया उपस्थित नहीं रहा है तथा न्यायालय द्वारा अनेकों बार अदेशिकाएं निर्गत करने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकी है तथा धारा 83 दं० प्र०सं० की आदेशिका जारी किए जाने के विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित न होने के कारण प्रार्थी / अभियुक्त का धारा 83 दं० प्र० सं० के अधीन कुर्क किया गया सामान धारा 85 (2) दं० प्र० सं० के अधीन प्राविधानों के प्रकाश में निर्मुक्त किए जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।"

4. उक्त सादृश्य के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने कुर्क की गई चल संपत्तियों को मुक्त करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश विधि के अंतर्गत पोषणीय नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता, जिसे फरार होने के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कारण न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया था और चल संपत्तियों को कुर्क किया गया था, पहले ही विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था तथा बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, इसलिए, विचारण न्यायालय के पास न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों को कुर्क रखने का कोई अवसर नहीं था। न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की उपस्थिति के बाद, संपत्तियों को न्यायालय द्वारा कुर्क रखने का कोई औचित्य नहीं था।

6. अपने तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2002 10 एस.सी.सी. 283** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर जोर दिया गया है और आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और पूर्वोक्त कार्यवाहियों के लंबन के दौरान इसे मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है तथा वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

8. आगे बढ़ने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता में सन्निहित प्रासंगिक प्रावधानों का परिशीलन करना होगा जो नीचे उद्धृत किए गए हैं।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 निम्नानुसार प्रावधान करती है:

"82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा.-

(1) यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या नहीं कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है ताकि ऐसे वारंट का निष्पादन न किया जा सके, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उससे ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन से अन्यून एक विनिर्दिष्ट स्थान और एक विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(2).....

(3).....

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(4).....

(5)....."

10. इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 निम्नानुसार प्रावधान करती है:

"83. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की.- (1) धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उद्घोषणा जारी होने के पश्चात किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी संपत्ति, चल या अचल, या दोनों की कुर्की का आदेश दे सकता है:

(2).....

(3) यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई ऋण या अन्य चल संपत्ति है, तो इस धारा के अंतर्गत कुर्की – (क) जब्ती द्वारा; या (ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा; या (ग) उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को ऐसी संपत्ति के परिदान को प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा; या (घ) इन सभी या किन्हीं दो तरीकों से, जैसा न्यायालय उचित समझे, की जाएगी।

(4).....

(5).....

(6)....."

11. इसके अतिरिक्त, कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने, बेचने और वापस करने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 के अंतर्गत सन्निहित है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"85. कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करना, बेचना और वापस करना.- (1) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा।

(2).....

(3)....."

12. अपील का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के अंतर्गत दिया गया है और इसकी अंतर्वस्तु नीचे दी गई है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"86. कुर्क की गई संपत्ति को वापस करने के प्रार्थना पत्र को नामजूर करने वाले आदेश से अपील.—

धारा 85 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति या उसकी बिक्री के आगमों को परिदत्त करने से किसी भी इनकार से व्यथित है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें प्रथम वर्णित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः अपीलें होती हैं।"

13. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में उसके विमोचन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कारण यह बताया गया है कि जमानत मिलने के बाद अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और न्यायालय द्वारा कई आदेश जारी किए जाने के बाद आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत आदेश जारी होने के विनिर्दिष्ट समय पर उसकी अनुपस्थिति के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत जब्त किए गए आवेदक/अभियुक्त के सामान को मुक्त करने का कोई आधार नहीं है।

14. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह न्यायालय एक स्वीकृत तथ्य पाता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता जिसे न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया था और जिसकी संपत्ति न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत कुर्क की गई थी, उसने बाद में स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। आक्षेपित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि पुलिस द्वारा जारी उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय व्यतीत होने के बाद फरार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया गया/उपस्थित हुआ था। फरार का मुख्य रूप से अर्थ उस व्यक्ति से है जो छिपने का प्रयास करता है और जब वह विधि की प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से अपने निवास स्थान से छिपा रहता है, तो उसे फरार कहा जाता है, लेकिन साथ ही जिस क्षण वह उपस्थित होता है या न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है, वह अब फरार नहीं रह जाता है और यही कारण है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 यह प्रावधान करती है कि उद्घोषित व्यक्ति के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर, न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा। अतः, अपीलकर्ता जो विधि के दायरे में न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के बाद फरार नहीं रह गया था, अपनी संपत्ति को मुक्त कराने का हकदार था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. वाद के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दृष्टिगत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के साथ-साथ उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

16. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 386 वर्ष 2017 राज्य बनाम रिकू सिंह उर्फ हरवीर सिंह, धारा 394, 411 भा.द.सं., थाना सिकंदरा, जिला कानपुर देहात में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.7.2023, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय द्वारा आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विमोचन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था, को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। संबंधित न्यायालय/उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए अपीलकर्ता द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसरण में कुर्क किए गए अपीलकर्ता के सामान/वस्तुओं को तत्काल मुक्त करें।

31 मार्च, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”